

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी  
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूददेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर  
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,  
जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची  
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची  
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची / संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक  
अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक : २१-११-१२

विषय :— वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या— 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700—वृहद सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-01— वृहद सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-02—स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 2700— वृहद सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2700—वृहद सिंचाई	01 वृहद सिंचाई-वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन / 02—स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	1536.380

कुल आवंटित राशि — रुपये पन्द्रह करोड़ छत्तीस लाख अड़तीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध ₹ 12564.29 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०- 04/2012/310/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 21.14 लाख सहित कुल ₹ 12585.43 लाख (एक सौ पचीस करोड़ पचासी लाख तैनातीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ  
सहा. अभि।)

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि।)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से दिनांक 30.11.12 तक सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों को एकमुश्त रस्थानान्तरण अनुदान एवं पैकिंग भत्ता का नियमानुसार भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए वरीयता के अनुसार किया जाय। शेष राशि से लंबित रस्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं तदुपरान्त अवशेष राशि से सामान्य यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाय।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी )  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

146

रॉची, दिनांक :- 21-11-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसौवा/घाटशीला/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी )  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

146

रॉची, दिनांक :- 21-11-12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)  
सहा. अभि०

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी )  
प्रधान सचिव

मास संख्या-49-जेल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-2700-वृहद सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-01-वृहद सिंचाई वाणिज्यिक  
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-02-स्वर्णरेखा बॉथ परियोजना

पत्रांक १/४६ दिनांक २/१-११-१२ का अनुलग्नक

प्रारंभिक ।

क्रम सं	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भर्ते				विस्तृत शीर्ष-02-	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष-04-	विस्तृत शीर्ष-05-	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जीवन यात्रा भर्ता	योग पूर्व का बकाया	वेतनादि		देशी यात्रा	कार्यालय	किरण दरे कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूलग	उद्दीप	विद्युत व्यय	
1	कार्यालय का नाम					49N270001001	49N270001001	49N270001001	49N270001001	49N270001001	49N270001001	49N270001001	49N270001001	कुल योग अधिकारित
2	विष्व कोड	020101	020101	020101	020101	020110	020112	020115	0202316	1020323	001020333	01020334	001020337	020442
3	प्रशासक स्वर्ण रेखा वहुदेशीय परिं आदित्यपुर जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	31,000 0.000	19,000 0.000	50,000 0.000	0.000 0.300	1,700 0.860	1,000 0.400	0.000 0.000	0.000 0.250	0.500 0.000	3,000 0.000	0.250 0.000	57,150 1,810
4	मुख्य अभियंता-चांडील कमलेक्स जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	56,160 0.000	23,800 0.000	79,960 0.000	0.000 0.300	1,425 1,130	0.900 0.000	0.000 0.000	0.000 0.400	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.250	84,485 1,130
5	मुख्य अभियंता, योजना नोटरिंग एवं आयोजन चौंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	15,000 0.000	9,000 0.000	24,000 0.000	0.000 0.200	0.500 0.950	0.000 0.000	0.000 0.300	0.000 0.075	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.250	27,525 0.700
6	नहर एवं नहर संरचना लपांक अंचल-रोनी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	74,000 0.000	59,780 0.000	133,780 0.000	0.000 0.200	2,759 0.500	0.400 0.000	0.000 0.150	0.100 0.000	0.600 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	137,989 0.100
7	बराज अंचल-गालुडीह	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	74,000 20,000	59,780 25,000	133,780 45,000	0.000 0.000	0.250 0.200	0.000 0.000	0.000 0.070	0.000 0.000	0.300 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	65,820 46,250
8	योजना एवं आयोजन अंचल, चौंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	61,000 0.000	49,000 0.000	110,000 0.000	0.000 0.250	0.500 0.000	0.000 0.000	0.000 0.370	0.000 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	112,070 114,736
9	समय योजना अंचेषण एवं जल विज्ञान अंचल-१ चौंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	170,000 0.000	154,000 0.000	324,000 0.000	0.000 0.200	3,370 0.650	0.000 0.000	0.000 0.150	0.150 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	329,820 0.600
10	स्वर्ण रेखा नहर अंचल जमशेदपुर प्रमंडल - जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	92,480 0.000	58,170 0.000	150,650 0.000	0.000 0.200	0.250 0.570	0.400 0.000	0.000 0.050	0.000 0.000	0.200 0.000	0.700 0.000	0.000 0.000	152,700 153,370
11	उप निदेशक क्रय निर्माण अंचल एवं नोटरिंग जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	32,000 108,000	18,000 63,000	50,000 171,000	0.000 0.000	0.100 0.100	0.570 0.400	0.000 0.000	0.000 0.150	0.250 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	121,550 151,450
12	सामग्री एवं निर्विदा नियंत्रण आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	81,000 0.000	48,000 0.000	129,000 1,131	0.000 0.000	0.100 0.400	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.100	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	131,331 0.775
13	केन्द्रीय भंडार एवं शिविर, प्रमंडल - चाडील	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	20,000 101,000	69,930 117,930	89,930 0.500	0.000 0.000	0.730 0.100	0.300 0.000	0.000 0.000	0.000 0.100	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	130,180 96,580

(अंकार नाथ)  
साकार अधिकारी

(मुख्य रुमार सिंचा)  
संयुक्त सचिव (अधिक)

(बी० सी० नियम)  
विशेष सचिव

(एस० क० राजामणि)  
प्रधान सचिव

क्र० सं	कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलटीटीटी०	प्रत्यक्ष यात्रा विधि	कार्यालय किरायादरे	आपूर्ति एवं दूरवाह	वर्दी	विषुद्ध व्यवहार	विषुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विषुद्ध शीर्ष-02-	विषुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विषुद्ध शीर्ष-04-	विषुद्ध शीर्ष-05-	विषुद्ध शीर्ष-06-	राशि लाख रुपये में
													विषुद्ध व्यवहारिका	विषुद्ध व्यवहारिका	विषुद्ध व्यवहारिका	विषुद्ध व्यवहारिका	विषुद्ध व्यवहारिका	राशि लाख रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	खरकई नहर प्रमंडल, चार्दीवासा	पूर्व का आवंटन 36.000	92.420	209.420	0.000	0.100	0.600	0.500	0.000	0.000	0.050	0.500	0.600	0.600	0.100	212.520	51.300	
13	खरकई बाध प्रमंडल सं-2 ईचा चालियामा	पूर्व का आवंटन 20.000	107.420	260.420	0.000	0.200	0.600	0.500	0.000	0.000	0.050	0.650	0.600	0.700	0.100	263.820	97.030	
14	गालडीह दायां नहर प्रमंडल च०-१, युमाबनी शिविर गालडीह	पूर्व का आवंटन 53.670	42.000	113.000	0.000	0.300	0.350	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32.000	114.320	
15	युण नियंत्रण प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 71.130	34.800	105.930	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	75.720	190.040	
16	नहर ल्याकण प्रमंडल सं०-१ जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 20.000	182.130	100.800	282.930	0.000	0.200	0.500	0.400	0.000	0.000	0.050	0.800	1.000	0.700	0.000	286.580	
17	पुनर्विस पदा० सं०-१ स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 95.000	56.540	118.540	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	120.550		
18	बराज प्रमंडल-गालडीह पूर्व का आवंटन 53.000	पूर्व का आवंटन 62.000	56.540	118.540	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	85.890		
19	बराज प्रमंडल-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 27.470	76.000	46.000	122.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.050	0.000	0.200	0.000	0.000	120.940		
20	रुपाकण प्रमंडल सं०-२ आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन 33.000	101.000	60.000	161.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.050	0.000	0.600	0.000	0.100	162.250		
21	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-४ गालडीह	पूर्व का आवंटन 20.000	81.000	48.000	129.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	97.300		
22	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-७ गालडीह	पूर्व का आवंटन 47.000	104.000	63.000	167.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	32.000		
23	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-९ घाटशिला	पूर्व का आवंटन 0.000	110.050	83.000	193.050	1.484	0.200	1.750	0.300	0.000	0.000	0.800	0.100	0.000	0.100	169.410		
																	129.300	
																	126.450	
																	295.860	
																	197.784	
																	0.580	
																	198.364	

(आकार नाथ) सहायक अमियता

(मुख्य कुमार सिंह) संयुक्त सचिव (अमियता)

(दी सी निमाय) विशेष सचिव

(एस० के शतपथी) प्रधान सचिव

वित्तीय वर्ष 2012-2013			विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं जर्मे										विस्तृत शीर्ष-02-		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक खाते				विस्तृत शीर्ष-04-		विस्तृत शीर्ष-07-		राशि लाख रुपये में	
क्रमांक	कार्यालय का नाम	विषय कोड	वेतन	जीवन यापन	योग	15.11.2000 के एलटीसी	दरीवां यात्रा	कार्यालय	कियायारदे	अपूर्ति एवं दूसरा	रद्दी	विस्तृत वाय	वेतन एवं सामग्री	मोटरावाहिनी	विवर ज्ञान	कुल योग	अधिकृत							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
24	लघु कितरणी प्रमडल सं-10 घटविला	पूर्व का आवंटन 31.000	55.000	147.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	147.580	49.000							
25	लघु कितरणी प्रमडल सं-12 मानगो जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 22.850	38.000	60.850	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	383.370	61.150							
26	विशेष भू-आर्जन पदा० स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल	पूर्व का आवंटन 93.060	67.000	160.060	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.800	0.100	0.500	0.100	162.110	6.600							
27	विशेष भू-आर्जन पदा०-१ स्वर्ण रेखा परियोजना मानगो-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 93.060	67.000	160.060	0.000	0.100	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	162.710	198.420							
28	सहा० नियंत्रक जन संपर्क स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 8.100	5.330	9.430	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	10.500							
29	सिंचाई प्रमडल-गालुडीह	पूर्व का आवंटन 14.100	5.330	19.430	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.530							
30	स्वर्ण रेखा नहर प्रमडल गायडीह	पूर्व का आवंटन 20.000	36.000	96.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	96.350							
31	स्वर्ण रेखा नहर प्रमडल घाटपीला	पूर्व का आवंटन 211.830	131.020	342.850	0.000	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.100	197.435	348.510							
32	स्वर्ण रेखा नहर प्रमडल चांडिल	पूर्व का आवंटन 149.780	89.380	239.160	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.775	0.000	0.000	0.000	0.100	83.485	240.835							
33	स्वर्ण रेखा बाल प्रमडल संख्या-२ चांडिल	पूर्व का आवंटन 100.000	92.060	192.060	0.000	0.250	0.200	0.000	0.000	0.000	0.825	0.000	0.000	0.000	0.200	80.335	194.735							
	अंतिरिक्त आवंटन का योग	40.000	80.560	120.560	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.150	146.254							
	अंतिरिक्त आवंटन का योग	131.000	134.560	265.560	0.000	0.954	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.150	267.214							
	अंतिरिक्त आवंटन का योग	746.830	755.920	1502.750	0.000	3.250	7.680	2.500	0.000	0.800	9.800	7.000	2.300	0.300	1536.380									

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विवेष-14/2010-50/बजट दिं 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शूल्य मानते हुए नये सिरे से विपनीकरण के आधार पर ही मुग्तान अनुमान्य हैं।

कुल अंतिरिक्त आवंटन राशि- रुपये पन्द्रह करोड़ छत्तीस लाख अड्डीस हजार रुपये

(ओकार नाथ)

(सुशोध कुमार शिर्षा)

(दी० सौ० निमाम)

(एस० के० शतमधी)

प्रधान सचिव 2/1-11-12